न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0 :– 41/2018 **(225 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. अमरसिंह पुत्र नानगा,
2. मानसिंह पुत्र नानगा,
3. बलवीर पुत्र नानगा
4. फूलचन्द पुत्र नानगा,
5. बसन्ती पत्नि नानगा जातियान अहीर निवासी हादरहेडा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

..... अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश अलवर राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, लक्ष्मणगढ जिला अलवर राज0।

..... रेस्पोडेण्टस

उपस्थित :–
1. श्री गोविन्द राम यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री गणपत सिंह नरूका, राजकीय अभिभाषक।

::: निर्णय :::

दिनांक :–04.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 18.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने एक दावा बाबत दुरूस्ती नक्शा ट्रेस आराजी खसरा नंबर 158 व 188 वाके ग्राम हादरहेडा का अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 158 व 188 एक चक है। जिसके बीच में से कोई रास्ता नही है। रास्ता खसरा नंबर 162 आराजी खसरा नंबर 158 की तरफ पश्चिम की डोल की ओर स्थित है। जिस रास्ते को बंदोबस्त 1957 में गलत तरीके से रास्ता 158 व 188 के बीच में दिखा दिया। जबकि ना तो पूर्व में तथा ना ही वर्तमान में दोनों खसरा नंबर के बीच में से रास्ता नही है। रास्ता खसरा नंबर 162 को खसरा नंबर 158 की तरफ पश्चिम की डोल की ओर से नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जावे तथा अप्रार्थीगण को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी खसरा नंबर 158 व 188 के बीच में से कोई रास्ते का निर्माण न करें। तथा इन खसरा नंबर के बीच में से कोई रास्ता कायम ना करें। जिस पर अदालत उपजिलाधीश महोदय ने दिनांक 21.03.2018 को इकतरफा में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। जिस

अस्थाई निषेधाज्ञा को अदालत उपजिलाधीश लक्ष्मणगढ ने दिनांक 18.05.2018 को बेजा तौर पर खारिज कर दिया। जिस आदेश दिनांक 18.05.2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अपीलांट अभिभाषक ने बहस की शुरूआत करते हुए अपील के तथ्यों को दोहराया और अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद के तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.05.2018 को बगैर अपीलांटस को सुने ही निर्णय कर दिया। निर्णय कैम्प में किया है। जिसकी कोई सूचना अपीलांटस व उसके वकील को नही थी।प्रार्थना पत्र का जबाव भी अप्रार्थीगण रेस्पो0 ने प्रार्थीगण अपीलांटस को नही दिया। दिनांक 18.05.2018 को कैम्प में ही जबाव प्रस्तुत किया तथा पत्रावली बहस में भी नियत नही थी। जबाव प्रार्थना पत्र में भी अप्रार्थीगण रेस्पो0 ने अपने जबाव में खसरा नंबर 158 व 188 को मिला हुआ माना है और उसके बीच में से कोई रास्ता नही होना बताया है। इसके बाबजूद उपजिलाधीश महोदय ने गलत तरीके से अपीलांटस प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 18.05.2018 उपजिलाधीश लक्ष्मणगढ निरस्त फरमाया जावे तथा रेस्पो0 को जर्ये हुक्मईम्तनाई दवामी ता–फैसला वाद पाबन्द फरमाया जावे व खसरा नंबर 158 व 188 वाके ग्राम हादरहेडा की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति रखी जावे। इन खसरा नंबरान के बीच में से कोई रास्ता कायम ना किया जावे।

जबाव बहस में सरकार पैरोकार का कथन है कि रिपोर्ट तहसीलदार व राजस्व रेकार्ड अनुसार उचित कार्यवाही की जावे।

हमने अपीलांट व पैरोकार सरकार के तर्को पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा रेकार्ड एवं पेश दस्तावेज व साक्ष्यों का अवलोकन किया।

विवादित आराजीयात जमाबंदी संवत 2071–74 तक प्रार्थीगण अपीलांट के कब्जेकाश्त खातेदारी में दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी दिनांक 08.07.2016 एवं उपतहसीलदार बडौदामेव के जबावदावा मु.नं. 2/23 दिनांक 21.03.2018 उनवान अमरसिंह बनाम सरकार के जबाव में बिंदु संख्या 4 व 5 के अनुसार "मुताबिक रिकार्ड पटवारी दिनांक 19.07.2016 के आधार पर खसरा नंबर 158 व 188 के मध्य में होकर कोई रास्ता चालू नही है अपितु रास्ता खसरा नंबर 162 व खसरा नंबर 158 की तरफ पश्चिम की डोल की ओर स्थित है। एवं वादीगण की तरफ से पेश जबाव का बिंदु संख्या 5 साबिक रिकार्ड का विषय है जिसमें मिलान क्षेत्रफल के अभाव में किसी बिदु को सत्य नही माना जा सकता है।"

रिपोर्ट पटवारी दिनांक 19.07.2016 के अनुसार वर्तमान में मौके पर अमरसिंह पुत्र नानगाराम ने दोनों खसरा नंबर 158 व 188 के बीच से जाने वाला रास्ता बंद करके खसरा नंबर 158 के पश्चिमी हिस्से से खातेदारी में से जोड दिया है जो वर्तमान में चालू है। जबकि पूर्व में नक्शे की स्थिति के आधार पर खसरा नंबर 158 व 188 के बीच में से होकर रास्ता जाता है। वर्तमान अपील बखत स्थायी निषेधाज्ञा में 'कब्जा' की वर्तमान स्थिति महत्वपूर्ण है। जैसा कि रिपोर्ट परपाटी व जवाबदावा उपतहसीलदार सरकार से स्पष्ट है कि वर्तमान में रास्ता खसरा नं. 158 के पश्चिम डोल के सहारे–सहारे है। रास्ता की 'दिशा' का निर्धारण

मूलवाद से ही तय होगा। अतः जब तक मूल का निपटारा नहीं हो जाता तब तक 'मौके' की यथास्थिति बनाए रखा जाना न्यायोचित है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट काबिल स्वीकार के है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 18.05.2018 निरस्त किया जाता है। अप्रार्थीगण/रेस्पो0 को पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक रास्ते के संबंध में खसरा नंबर 158 व 188 वाके ग्राम हादरहेडा की वर्तमान मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

4.02.2020

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अलवर